Coroners Court of Victoria

What do I do now?
Hindi

मैं अब क्या करूँ?

कारोनरी प्रक्रिया में पहला कदम

यदि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु की कारोनर (मृत्यु समीक्षक) को खबर की गई है तो इस लघु पुस्तिका में जो जानकारी है आपको उसे जानना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अदालत को **1300 309 519** पर संपर्क करें अथवा हमारी वेबसाईट **www.coronerscourt.vic.gov.au** पर जाएं।

कारोनर द्वारा मामले की जाँच करना

कारोनर कुछ मौतों और आग की घटनाओं का कारण जानने के लिए उनकी जाँच करता है। वह सभी मौतों की जाँच नहीं करता, केवल उनकीः

- जो अप्रत्याशित, अप्राकृतिक अथवा हिंसात्मक हों अथवा जिनका कारण दुर्घटना या चोट हो
- जो किसी चिकित्सा की प्रक्रिया में अथवा उसके तुरंत बाद अप्रत्याशित रूप से हुई हों
- यदि मरने वाला किसी की देख-रेख अथवा हिरासत में था
- यदि डैथ सर्टिफ़िकेट (मृत्यु प्रमाण-पत्र) पर कोई चिकित्सक हस्ताक्षर नहीं करता है
- जब मरने वाले व्यक्ति की पहचान न हो सकी हो

प्राथमिक संपर्क

कारोनरी प्रक्रिया के पहले कदम के बारे में अदालत का कोई कर्मचारी आपसे संपर्क करेगा।

यदि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु मेल्बर्न में होती है तो अधिकाँश मामलों में उसे हमारी देख-भाल में 57-83 कवाना स्ट्रीट, साउथबैंक में रखा जाएगा।

यदि आपके प्रियजन की मृत्यु क्षेत्रीय विक्टोरिया में होती है तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे कि उसकी देख-भाल कहाँ की जा रही है। ऐसा किसी क्षेत्रीय अस्पताल में अथवा साउथबैंक में हो सकता है।

यदि आप उस व्यक्ति को देखना चाहें अथवा उसके साथ समय बिताना चाहें तो हम आपकी सहायता करेंगे।

सीनियर नैक्स्ट ऑफ़ किन (नियुक्त किया गया अंतरंग व्यक्ति) कौन होगा, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। कारोनर द्वारा जाँच के बारे में कोई भी बात उसी व्यक्ति के माध्यम से अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से होगी।

पहचान

कारोनर द्वारा मरने वाले की पहचान करना आवश्यक है। आपको अपने प्रियजन की शिनाख्त करने के लिए पूछा जा सकता है। अपने प्रियजन की शिनाख्त करने के लिए आवश्यक है कि आप उसके परिवार के सदस्य हों अथवा मृत्यु के समय उसे अच्छी तरह जानते हों।

कुछ मामलों में हम चिकित्सीय अथवा वैज्ञानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसा करना आवश्यक है तो हम आपसे बात करेंगे।

चिकित्सीय परीक्षण

चिकित्सीय परीक्षण मृत्यु का कारण जानने में सहायता देने के लिए किए जाते हैं। चाहे कारण प्रत्यक्ष हो तो भी यह महत्त्वपूर्ण है कि हम यह जाँच करें कि वास्तव में क्या हुआ।

प्राथमिक परीक्षण

जैसे ही आपका प्रियजन हमारी देख-भाल में आता है, एक चिकित्सक अथवा विकृतिविज्ञानी उसका परीक्षण करेगा। यह प्राथमिक परीक्षण बहुत कम अतिक्रमणीय होता है। अदालत के कर्मचारी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे।

हम आपसे ऐसी जानकारी माँग सकते हैं जो हमें आपके प्रियजन के चिकित्सीय रिकार्ड (अभिलेख) अथवा अन्य जानकारी को प्राप्त करने में सहायता दे सकती है और हमें आपसे मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है।

पुलिस भी मृत्यु के बारे में बातचीत करने के लिए आपसे संपर्क कर सकती है। वे कारोनर को मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में अधिक से अधिक तथ्य एकत्र करने में सहायता करते हैं।

आटोप्सी (शव-परीक्षा)

कुछ मामलों में आटोप्सी करने की आवश्यकता हो सकती है। आटोप्सी – जिसे पोस्ट-मार्टम (चीर-फाड़) भी कहते हैं – हमें मृत्यु के कारण के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए की जाती है। यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो विकृतिविज्ञानी द्वारा की जाती है।

यदि कारोनर समझता है कि आटोप्सी की आवश्यकता है तो हम पहले सीनियर नैक्स्ट आॅफ़ किन से संपर्क करेंगे। हम इस प्रक्रिया की जानकारी और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। यदि आपको आटोप्सी किए जाने पर आपत्ति है, जैसे कि धार्मिक अथवा साँस्कृतिक कारणों से, अथवा आपको किसी बात की चिंता है, तो हमें उसी समय बताएं ताकि हम कारोनर को सूचित कर सकें। कारोनर आपकी चिंताओं को ध्यान में रखेगा और हम आपको उसके निर्णय से अवगत कराने के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे।

चिकित्सीय जाँच के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें **1300 309 519** पर सपर्क करें और इनीशियल इन्वैस्टीगेशनस् आॅफ़िस के लिए पूछें अथवा हमारी वेबसाईट **www.coronerscourt.vic.gov.au** पर जाएं

व्यक्तिगत सामान

व्यक्तिगत सामान – जैसे कि आभूषण, कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं – आम तौर पर पुलिस द्वारा मृत्यु के स्थान से एकत्र कर लिए जाते हैं और फिर वापस कर दिए जाते हैं। कभी-कभी पुलिस कुछ वस्तुओं को अदालती जाँच के लिए रख सकती है। अन्यथा व्यक्तिगत सामान फ्यूनरल डायरेक्टर (अंतिम संस्कार निदेशक) को दे दिया जाता है ताकि वह लौटाया जा सके।

यदि व्यक्तिगत सामान के बारे में आपको कुछ पूछना है तो कृपया हमें बताएं।

अंतिम संस्कार की तैयारी करना

आप फ्यूनरल डायरेक्टर से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फ्यूनरल डायरेक्टर आपसे और अदालत के कर्मचारियों से संपर्क करके अंतिम संस्कार की तैयारी करने में आपकी सहायता करेगा।

परिवार और सामुदायिक साँत्वना सेवा

अदालत अल्प-कालीन साँत्वना और परामर्श निःशुल्क प्रदान करती है। हम संबंधियों और मृत्यु से प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति को सहायता देते हैं।

हमारी परिवार और सामुदायिक साँत्वना सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें **1300 309 519** पर संपर्क करें अथवा हमारी वेबसाईट **www.coronerscourt.vic.gov.au** पर जाएं

डैथ सर्टिफ़िकेट (मृत्यु प्रमाण-पत्र) प्राप्त करना

कारोनर (मृत्यु-समीक्षक) मृत्यु के कारण की जानकारी दि रजिस्ट्रार आॅफ़ बर्थस्, डैथस् एंड मैरिज़िस् (जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयक) को देता है ताकि मृत्यु का पंजीयन हो सके और डैथ सर्टिफ़िकेट जारी किया जा सके।

स्टैंडर्ड डैथ सर्टिफ़िकेट (मानक मृत्यु प्रमाण-पत्र)

आप अथवा आपका फ्यूनरल डायरेक्टर (अंतिम संस्कार निदेशक) स्टैंडर्ड डैथ सर्टिफ़िकेट का आॅर्डर दे सकते हैं। जब मृत्यु की पूरी जानकारी पंजीकृत हो जाती है तो दि रजिस्ट्री आॅफ़ बर्थस्, डैथस् एंड मैरिज़िस् यह सर्टिफ़िकेट आपको अथवा आपके द्वारा नामज़द व्यक्ति को डाक द्वारा भेजेगी।

आर्थिक तथा अन्य औपचारिक प्रयोजनों के लिए मृत्यु के प्रमाण के रूप में आम तौर पर एक स्टैंडर्ड डैथ सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता होती है।

इंटरिम (अंतरिम) डैथ सर्टिफ़िकेट

यदि कारोनर मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं लगा पाया है तो दि रजिस्ट्री आॅफ़ बर्थस्, डैथस् एंड मैरिज़िस् एक इंटरिम डैथ सर्टिफ़िकेट जारी कर सकती है। लेकिन इंटरिम डैथ सर्टिफ़िकेट में मृत्यु का कारण नहीं लिखा होता, इसलिए यह सभी औपचारिक प्रयोजनों के लिए माननीय नहीं होता।

अदालत भी एक इंटरिम डैथ सर्टिफ़िकेट जारी करके मृत्यु की पुष्टि कर सकती है। ऐसा इंटरिम सर्टिफ़िकेट सभी आर्थिक संस्थानों द्वारा और, अथवा औपचारिक प्रयोजनों के लिए माननीय नहीं होता।

बेहतर होगा कि जिस संस्थान से आपका वास्ता है, आप उससे पता कर लें कि वे इंटरिम डैथ सर्टिफ़िकेट को स्वीकार करेंगे या नहीं।

सहायता के लिए संपर्क के कुछ नंबर

(यदि विशेष समय उल्लिखित नहीं है तो सामान्य कार्यालय का समय लागू होता है)

कम्पैशनेट फ्रेंडस् विक्टोरिया इंकार्पोरेटिड	1800 641 091
फैमिली एंड कम्युनिटी सप्पोर्ट सर्विस (परिवार और समुदाय साँत्वना सेवा)	1300 309 519
फैडरेशन ऑफ़ कम्युनिटी लीगल सेंटरस्	(03) 9654 2204
इंडस्ट्रियल डैथस् सप्पोर्ट एंड एडवोकेसी	(03) 9309 4453
इंटरप्रैटर सर्विस (दुभाषिया सेवा)	131 450
मर्सी वैस्टर्न ग्रीफ सर्विसिज़	(03) 9364 9838
नेशनल रिले सर्विस टी टी वाई सर्विस	133 677 (सुनने में असमर्थ लोगों के लिए) 1300 555 727 (बोलें और सुनें)
रोड ट्रोमा सप्पोर्ट टीम	1300 367 797 (24 घंटे)
रजिस्ट्री ऑफ़ बर्थस्, डैथस् एंड मैरिज़िस्	1300 369 367
स्टेट ट्रस्टीस्	(03) 9667 6319 1300 138 672 (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
सिडस् एंड किडस् विक्टोरिया	1800 240 400
विक्टिमस् सप्पोर्ट एजेंसी	1800 819 817
विक्टोरिया लीगल एड	(03) 9269 0234
विक्टोरियन एबोरिजिनल लीगल सर्विसिज़	(03) 9419 3888 1800 064 864 (24 घंटे)
विक्टोरियन कोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड वैल्फेयर नेटवर्क	(03) 9603 7433 1800 681 614 (24 घंटे)

Coroners Court of Victoria

57 - 83 Kavanagh Street Southbank 3006
T 1300 309 519 F 03 9682 1206
W www.coronerscourt.vic.gov.au